



## सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर.

मा. स्थायी समितीचे दि. २०/३/२०१५ चे  
सभेपुढे विषय क्र. ८८१ ठराव क्र. ७८८ अन्वये  
खालील प्रमाणे ठराव बहुमताने/सर्वानुमते पास झाला.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ९५ नुसार सन २०१४ -१५ चे सुधारित व सन २०१५-१६ चे अंदाजपत्रक 'अ' व 'क' मा. आयुक्त यांनी दिनांक १२/०२/२०१५ रोजी मा.स्थायी समितीकडे सादर केलेले आहे.

प्रस्तुत सन २०१४-१५ चे सुधारित तसेच सन २०१५-१६ चे अंदाजपत्रक उक्त अधिनियमाच्या कलम ९६ नुसार शिफारस होवून कमल १०० अन्वये मा. महानगरपालिकेची मान्यता मिळणेस्तव आलेल्या प्रकरणाचे अवलोकन केले. मा.आयुक्त यांनी सन २०१४-१५ चे सादर केलेले सुधारीत अंदाजपत्रकास मान्यता मिळणेस्तव मा.म.न.पा. कडे शिफारस करणेत येत आहे. तसेच सन २०१५-१६ चे अंदाजपत्रकाचे खालील प्रमाणे फेरबदल करणेत येत असून, त्यास व सूचना शिफारशीसह कलम १०० अन्वये मान्यता मिळणेस्तव मा.महानगरपालिकेकडे शिफारस करणेत येत आहे.

अंदाजपत्रक सन २०१५-१६

महसुली जमा बाजू

| पा. नं. | अ. क्र. | जमा विवरण   | मा. आयुक्तांनी सुचविलेला अंदाज | मा. स्थायी समितीने केलेला फेरबदल |             | मा. स्थायी समितीने सुचविलेला अंदाज |
|---------|---------|---|--------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|
|         |         |   |                                | वाढ                              | कपात        |                                    |
| १       | २       | ३   | ४                              | ५                                | ६           | ७                                  |
| १४      | १       | सर्वसाधारण कर अप्रत्यक्ष कर व इतर जमा                                 |                                |                                  |             |                                    |
|         | १५      | इतर जमा<br>मिळकतीचे सर्व्हे करून<br>उत्पन्न वाढविणे<br>(क आ क सं प्र) | -                              | २५,००,००,०००                     | -           | २५,००,००,०००                       |
| १६      | २       | हद्दवाढ विभाग   |                                |                                  |             |                                    |
|         | ८       | मिळकतीचे सर्व्हे करून<br>उत्पन्न वाढविणे (हवा)                        | -                              | २५,००,००,०००                     | -           | २५,००,००,०००                       |
| १८      | ७क      | पथ व इमारती   |                                |                                  |             |                                    |
|         | ८       | अनाधिकृत बांधकाम दंड<br>व विकास शुल्क शोध<br>मोहिम नियमित करणे        |                                | २५,००,००,०००                     |             | २५,००,००,०००                       |
| १९      | ८       | भवने व भूमि यांची<br>व्यवस्था   | -                              | -                                | -           | -                                  |
|         | २       | उक्ते जागा इमारत भाडे   | ४,००,००,०००                    | ४,००,००,०००                      |             | ८,००,००,०००                        |
|         | ख३)     | प्रासंगिक व इतर जमा   | ३०,००,०००                      | १५,००,००,०००                     |             | १५,३०,००,०००                       |
|         | ८       | म.न.पा गाळ्यांचे अनामत<br>रक्कम व फार्म विक्री जमा                    | ५,००,००,०००                    |                                  | ५,००,००,००० |                                    |

उपरोक्त बदलामुळे एकूण बेरजेत खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. पृष्ठ क्र.२३ वरील १ ते १४ ची बेरीज र.रुपये ३७५,४३,९४,०००/- ऐवजी र. रुपये ४६४,४३,९४,०००/- इतकी येते. शिलकेसह एकूण र.रुपये ४६४,४६,५१,४०९/- इतकी येते.

## महसूली खर्च बाजू

| पा. नं. | अ. क्र. | खर्च विवरण  | मा. आयुक्तांनी सुचविलेला अंदाज | मा.स्थायी समितीने केलेला फेरबदल |      | मा.स्थायी समितीने सुचविलेला अंदाज |
|---------|---------|---|--------------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------|
|         |         |   |                                | वाढ                             | कपात |                                   |
| १       | २       | ३   | ४                              | ५                               | ६    | ७                                 |
| २५      | १       | मुख्य देखरेख वसुली वगैरे  |                                |                                 |      |                                   |
|         | क)      | महानगरपालिका नि स्थायी समिती  |                                |                                 |      |                                   |
|         | १       | नगरसचिव कार्यालय  |                                |                                 |      |                                   |
|         | ४       | संकीर्ण   | १२,००,०००                      | ८,००,०००                        | -    | २०,००,०००                         |
|         | १५      | कौन्सिल हॉल देखभाल दुरुस्ती   | १५,००,०००                      | १०,००,०००                       | -    | २५,००,०००                         |
|         | २१      | नवीन वाहन खरेदी/<br>असेसरीज खरेदी   | -                              | ७,००,०००                        | -    | ७,००,०००                          |
| ३३      | ढ       | कामगार कल्याण व जनता संपर्क कार्यालय                                      |                                |                                 |      |                                   |
|         | ९       | अपंग सहाय्य योजना   | ३५,००,०००                      | ६५,००,०००                       | -    | १,००,००,०००                       |
| ३४      | ण       | क्रिडाधिकारी कार्यालय   |                                |                                 |      |                                   |
|         | २       | क्रिडांगण दुरुस्ती  | १०,००,०००                      | ४,००,०००                        | -    | १४,००,०००                         |
|         | ९       | अखिलभारतीय व राज्य पातळीवरील राष्ट्रीय खेळाचे सामने भरविणे (महापौर चषकसह) | ५,००,०००                       | ५०,००,०००                       | -    | ५५,००,०००                         |
| ४३      | प       | रुग्णालये प्रसुतिगृहे औषधालये इत्यादी                                     |                                |                                 |      |                                   |
|         | क       | ऑलोपॅथिक दवाखाने  |                                |                                 |      |                                   |
|         | च       | मदर तेरेसा व दाराशा सहा विभागसाठी व इतर कामासाठी                          | २०,००,०००                      | २०,००,०००                       | -    | ४०,००,०००                         |
|         | १४      | वेटिलेटेर खरेदी   | -                              | २०,००,०००                       | -    | २०,००,०००                         |
|         | ७       | पथ व इमारती   |                                |                                 |      |                                   |
|         | क       | नगरअभियंता कार्यालय   |                                |                                 |      |                                   |
| ५०      | ४       | निगा व दुरुस्ती कामे  |                                |                                 |      |                                   |
|         | ५       | प्रशासकिय इमारत अधुनिककरणे करणे   | ७५,००,०००                      | -२५,००,०००                      |      | ५०,००,०००                         |
|         | १७      | आंबेडकर आवास योजना (श्रम व साफल्य)  | ६०,००,०००                      | २,४०,००,०००                     | -    | ३,००,००,०००                       |
|         | २४      | जन्नतुल फिरदोस मुस्लीम कब्रस्तान सुधारणा करणे                             | -                              | ५०,००,०००                       | -    | ५०,००,०००                         |
|         | २५      | मिटरगेज रेल्वे रूळ लागतची झोपडपट्टी पुर्नवसन करणे                         | -                              | १,००,००,०००                     | -    | १,००,००,०००                       |
| ५२      | ख२      | नागरी समुदाय विकास प्रकल्प (युसीडी)                                       |                                |                                 |      |                                   |
|         | ३       | महिला व बालकल्याण समिती   | ६०,००,०००                      | २,४०,००,०००                     | -    | ३,००,००,०००                       |

|    |      | खर्च                                      |             |          |             |           |
|----|------|---|-------------|----------|-------------|-----------|
| ५४ | ८    | भवने व भूमि यांची व्यवस्था                |             |          |             |           |
|    | ५    | भूमि व मालमत्ता कार्यालय करणे व फलक लावणे | ३,००,०००    | २,००,००० | -           | ५,००,०००  |
|    | ७    | म.न.पा. इमारतीचा विमा                     | १,००,०००    | ९,००,००० | -           | १०,००,००० |
| ५६ | १०   | उद्याने                                   |             |          |             |           |
|    | क    | उद्यान प्रमुख कार्यालय                    |             |          |             |           |
|    | ४    | म.न.पा. बागेची देखभाल दुरुस्ती            | १,५०,००,००० | -        | १,२५,००,००० | २५,००,००० |
| ६१ | १६   | विभागीय कार्या.क्र.१                      |             |          |             |           |
|    | १०   | शाळा देखभाल दुरुस्ती                      | १,००,०००    | १,००,००० | -           | २,००,०००  |
|    | ११   | इमारत दुरुस्ती                            | २,००,०००    | ५,००,००० | -           | ७,००,०००  |
|    | १३   | पुतळे परिसर सुधारणा                       | २,५०,०००    | १,००,००० | -           | ३,५०,०००  |
|    | १४   | स्मशानभूमि देखभाल खर्च                    | २,००,०००    | १,००,००० | -           | ३,००,०००  |
| ६२ | २१)६ | लॅंडकी नाला सार्व.संडास सफाई खर्च         | १,००,०००    | २,००,००० | -           | ३,००,०००  |
|    | २२)६ | कुपनलिका दुरुस्ती                         | ८,००,०००    | २,००,००० | -           | १०,००,००० |
| ६४ | १७   | विभागीय कार्यालय क्र.२                    |             |          |             |           |
|    | २०/४ | गटारे दुरुस्ती                            | ५,००,०००    | १,००,००० | -           | ६,००,०००  |
|    | २०/५ | भूयारी पावसाळी गटारे दुरुस्ती             | १०,००,०००   | ५,००,००० | -           | १५,००,००० |
|    | २२/५ | पाणी टंचाई कालावधीत टँकरने पाणी पुरवठा    | १२,००,०००   | ८,००,००० | -           | २०,००,००० |
|    | २२/६ | कुपनलिका दुरुस्ती                         | १२,००,०००   | ३,००,००० | -           | १५,००,००० |
| ६५ | १८   | विभागीय कार्यालय क्र.३                    |             |          |             |           |
|    | ९    | रस्ते दुरुस्ती                            | १८,००,०००   | २,००,००० | -           | २०,००,००० |
|    | १०   | शाळा देखभाल दुरुस्ती                      | २,००,०००    | १,००,००० | -           | ३,००,०००  |
|    | १२   | शॉपिंग सेंटर दुरुस्ती                     | २,००,०००    | ५,००,००० | -           | ७,००,०००  |
|    | १३   | पुतळे परिसर सुधारणा                       | ५,५०,०००    | १,००,००० | -           | ६,५०,०००  |
|    | १४   | स्मशानभूमि देखभाल खर्च                    | ३,५०,०००    | १,५०,००० | -           | ५,००,०००  |
|    | १५   | बाग देखभाल दुरुस्ती                       | ७,००,०००    | ३,००,००० | -           | १०,००,००० |
| ६६ | २०/५ | भूयारी पावसाळी गटारे दुरुस्ती             | १५,००,०००   | २,००,००० | -           | १७,००,००० |
|    | २२/४ | पाईपलाईन दुरुस्ती                         | १५,००,०००   | २,५०,००० | -           | १७,५०,००० |
|    | २२/६ | कुपनलिका दुरुस्ती                         | ७,००,०००    | २,००,००० | -           | ९,००,०००  |
| ६७ | १९   | विभागीय कार्यालय क्र.४                    |             |          |             |           |
| ६८ | १८   | विजेची सोय व नुतनीकरण                     | ८,००,०००    | २,००,००० | -           | १०,००,००० |
|    | २०/४ | गटारे दुरुस्ती                            | ६,००,०००    | ४,००,००० | -           | १०,००,००० |
| ६९ | २०   | विभागीय कार्यालय क्र.५                    |             |          |             |           |
|    | १३   | पुतळे परिसर सुधारणा                       | २,००,०००    | २,००,००० | -           | ४,००,०००  |
|    | १४   | स्मशानभूमि देखभाल खर्च                    | २,००,०००    | २,००,००० | -           | ४,००,०००  |
| ७० | १७   | इमारत दुरुस्ती मंडई खाते                  | १,००,०००    | २,००,००० | -           | ३,००,०००  |

|    |      |   |              |              |   |               |
|----|------|---|--------------|--------------|---|---------------|
|    | २०/४ | गटारे दुरुस्ती  | ४,००,०००     | ४,००,०००     | - | ८,००,०००      |
|    | २०/५ | भुयारी पावसाळे गटारे दुरुस्ती   | १५,००,०००    | २,००,०००     | - | १७,००,०००     |
|    | २२/४ | पाईपलाईन दुरुस्ती   | १३,००,०००    | २,००,०००     | - | १५,००,०००     |
| ७१ | २१   | <b>विभागीय कार्यालय क्र.६</b>   |              |              |   |               |
|    | १५   | बाग देखभाल दुरुस्ती   | ५,००,०००     | २,००,०००     | - | ७,००,०००      |
| ७२ | २०/४ | गटारेदुरुस्ती   | १०,००,०००    | ५,००,०००     | - | १५,००,०००     |
|    | २१/७ | सार्व.संडास व मुतारी दुरुस्ती   | १३,००,०००    | २,००,०००     | - | १५,००,०००     |
| ७३ | २२   | <b>विभागीय कार्यालय क्र.७</b>   |              |              |   |               |
|    | ९    | रस्ते दुरुस्ती  | २०,००,०००    | ५,००,०००     | - | २५,००,०००     |
|    | १०   | शाळा देखभाल दुरुस्ती  | ३,००,०००     | २,००,०००     | - | ५,००,०००      |
|    | ११   | इमारत दुरुस्ती  | १,००,०००     | १,००,०००     | - | २,००,०००      |
|    | १२   | शॉपिंग सेंटर दुरुस्ती   | ५०,०००       | १,००,०००     | - | १,५०,०००      |
|    | १४   | रमाशानभूमि देखभाल खर्च  | ५०,०००       | १,५०,०००     | - | २,००,०००      |
|    | १५   | बाग देखभाल दुरुस्ती   | १,००,०००     | १,००,०००     | - | २,००,०००      |
| ७४ | २०/४ | गटारे दुरुस्ती  | १,००,०००     | १,००,०००     | - | २,००,०००      |
|    | २०/५ | भुयारी पावसाळी गटारे दुरुस्ती   | २०,००,०००    | ५,००,०००     | - | २५,००,०००     |
|    | २१/५ | सुधारित झोपडपट्टी सफाई खर्च   | १,५०,०००     | १,००,०००     | - | २,५०,०००      |
|    | २१/६ | लेंडकी नाला सार्व.संडास सफाई खर्च                                       | ७,००,०००     | ३,००,०००     | - | १०,००,०००     |
|    | २१/७ | सार्व.संडास व मुतारी दुरुस्ती   | ५,००,०००     | २,००,०००     | - | ७,००,०००      |
|    | २२/४ | पाईपलाईन दुरुस्ती   | १२,००,०००    | ३,००,०००     | - | १५,००,०००     |
| ७५ | २३   | <b>विभागीय कार्यालय क्र.८</b>   |              |              |   |               |
|    | ९    | रस्ते दुरुस्ती  | १५,००,०००    | १०,००,०००    | - | २५,००,०००     |
|    | १०   | शाळा देखभाल दुरुस्ती  | २,००,०००     | २,००,०००     | - | ४,००,०००      |
|    | १२   | शॉपिंग सेंटर दुरुस्ती   | १,००,०००     | १,००,०००     | - | २,००,०००      |
|    | १५   | बाग देखभाल दुरुस्ती   | ३,००,०००     | ५,००,०००     | - | ८,००,०००      |
| ७६ | १८   | विजेची सोय व नुतनीकरण   | ६,००,०००     | २,००,०००     | - | ८,००,०००      |
|    | २०/४ | गटारे दुरुस्ती  | ८,००,०००     | ४,००,०००     | - | १२,००,०००     |
|    | २०/५ | भूयारी पावसाळी गटारे दुरुस्ती   | १२,००,०००    | ३,००,०००     | - | १५,००,०००     |
|    | २१/४ | कंटेनर खरेदी दुरुस्ती   | २,५०,०००     | १,५०,०००     | - | ४,००,०००      |
|    | २१/५ | सुधारित झोपडपट्टी सफाई खर्च   | १०,००,०००    | ५,००,०००     | - | १५,००,०००     |
|    | २१/६ | लेंडकी नाला सार्व. संडास सफाई खर्च                                      | १०,००,०००    | ५,००,०००     | - | १५,००,०००     |
|    | २१/७ | सार्व. संडास मुतारी दुरुस्ती खर्च                                       | १५,००,०००    | ५,००,०००     | - | २०,००,०००     |
| ७७ | २४   | <b>महसूल निधीतून वर्ग</b>   |              |              |   |               |
|    | क    | <b>करणेची रक्कम</b><br>महसूल निधीतून भांडवली कामासाठी वर्ग करणेची रक्कम | ३८,७३,९४,००० | ८२,०२,००,००० | - | १२०,७५,९४,००० |

|   |   |              |               |              |              |
|---|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| ख | पाणी पुरवठा सेवेसाठी येणा-<br>या तुटीची भरपाई करणेसाठी<br>वर्ग करणेची रक्कम | १५,६२,६९,००० |               | -२,२५,००,००० | १३,३७,६९,००० |
| घ | परिवहन खात्यास आर्थिक<br>सहाय्य   | ५,००,००,०००  |               | -३,००,००,००० | २,००,००,०००  |
| ड | परिवहन विभागाकडील<br>सेवानिवृत्त सेवकांचे पेन्शन व<br>इतर देय रक्कम देणे    |              | - ४,००,००,००० | -            | ४,००,००,०००  |

उपरोक्त बदलामुळे एकूण बेरजेत खालील प्रमाणे बदल करणेत येत आहे. पृष्ठ क्र. ७७वरील १ ते २५ ची बेरीज र.रुपये ३७५,४३,९४,०००/- ऐवजी र.रुपये ४६४,४३,९४,०००/- इतकी होते. शिल्लकेसह एकूण र.रु.४६४,४६,५१,४०९/- इतकी येते.

### सार्व. आरोग्य अभियंता (पाणी पुरवठा 'क')

#### जमा बाजू

| पा.<br>नं. | अ.<br>क्र. | जमा विवरण   | मा.आयुक्त यांनी<br>सुचविलेला अंदाज | मा.स्थायी समितीने<br>केलेला फेर बदल |               | मा.स्थायी समितीने<br>सुचविलेला अंदाज |
|------------|------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
|            |            |   |                                    | वाढ                                 | कपात          |                                      |
| १          | २          | ३   | ४                                  | ५                                   | ६             | ७                                    |
| १०५        | १          | सार्व. आरोग्य अभियंता                                     |                                    |                                     |               |                                      |
|            | ८          | नवीन नळ व दुरुस्ती<br>जमा                                 | २,२५,००,०००                        | २५,००,०००                           | -             | २,५०,००,०००                          |
|            | ११         | तुटीची भरपाई पोटी<br>म.न.पा. फंडातून वर्ग<br>करणेची रक्कम | १५,६२,६९,०००                       |                                     | - २,२५,००,००० | १३,३७,६९,०००                         |

वरील बदलामुळे पाणीपुरवठ्याची बेरीज र.रुपये ६०,१९,६९,०००/- इतकी येते.

### सार्व. आरोग्य अभियंता (पाणी पुरवठा 'क')

#### खर्च बाजू

| पा.<br>नं. | अ.<br>क्र. | जमा विवरण             | मा.आयुक्त यांनी<br>सुचविलेला अंदाज | मा.स्थायी समितीने केलेला<br>फेरबदल |               | मा.स्थायी समितीने<br>सुचविलेला अंदाज |
|------------|------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
|            |            |                       |                                    | वाढ                                | कपात          |                                      |
| १          | २          | ३                     | ४                                  | ५                                  | ६             | ७                                    |
| १०६        | १          | सार्व. आरोग्य अभियंता |                                    |                                    |               |                                      |
|            | १६         | यशवंत जलाशय खर्च      |                                    |                                    |               |                                      |
|            |            | कजवरील मुद्दल फेड     | ६,००,००,०००                        |                                    | - २,००,००,००० | ४,००,००,०००                          |

वरील बदलांमुळे पाणीपुरवठ्याची बेरीज र.रुपये ६०,१९,६९,०००/- इतकी येते.

## भांडवली जमा बाजू

| पा. नं. | अ. क्र. | जमा विवरण                       | मा.आयुक्तांनी सुचविलेला अंदाज | मा.स्थायी समितीने केलेला फेरबदल |      | मा.स्थायी समितीने सुचविलेला अंदाज |
|---------|---------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------|
|         |         |                                 |                               | वाढ                             | कपात |                                   |
| १       | २       | ३                               | ४                             | ५                               | ६    | ७                                 |
| ८२      | अ       | महसूल निधीची व अनुदानाची जमा    |                               |                                 |      |                                   |
|         | १       | महसूल निधीतून वर्ग करणेची रक्कम | ३८,७३,९४,०००                  | ८२,०२,००,०००                    |      | १२०,७५,९४,०००                     |

वरील बदलांमुळे र. रूपये ६२,४३,९४,०००/- ऐवजी र.रु. १४४,४५,९४,०००/- इतकी येते. तसेच अ ते ई ची बेरिज र.रुपये ६०१,४७,१६,०००/- ऐवजी र. रूपये ६८३,४९,१६,०००/- इतकी येते. सदरची रक्कम भांडवली खर्चाच्या कामासाठी वर्ग करण्यात येत आहे.

सन २०१२-१३ ते २०१४-१५ या आर्थिक वर्षामध्ये ज्या त्या मा.पदाधिकारींसाठी करण्यात आलेल्या ऐच्छिक खर्चाच्या तरतूदीमधून त्यांनी खर्च केलेला आहे. त्या खर्चास त्या त्या मा.पदाधिकारी यांची सक्षम मान्यता असून, त्यास जाहिर प्रसिध्दीकरणेची अट शिथिल करणेकामी कार्योत्तर मान्यता देणेत येत आहे. आणि सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ज्या ज्या मा.पदाधिकारींसाठी करण्यात आलेल्या ऐच्छिक खर्चाच्या तरतूदीमधून त्या त्या पदाधिकारी यांनी करण्यात येणाऱ्या खर्चास, व जाहिर प्रसिध्दीकरणेची अट शिथिल करणेस, मान्यता देण्यांत येत आहे.

**ए. ए. पठाण**  
नगरसचिव  
सोलापूर महानगरपालिका

## सूचना व शिफारशी

- १) म.न.पा ने सन २०१४-२५ चे अंदाजपत्रकामध्ये विविध बांबीसाठी दिलेले उद्दीष्टेयाप्रमाणे प्रशासनाने वसूल आणलेला नाही याचा प्रशासनाने गंभीरपणे विचार करून सर्वच बाबींमध्ये जास्तीत जास्त वसुली आणण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही ठेवावी.
- २) शहरातील मिळकतीची कर आकारणीची पध्दती सुलभ करून नागरिकांना समजेल अशा पध्दतीने करावी तशा पध्दतीचे दरपत्रकाचे फलक ही नागरीकांसाठी लावण्यांत यावेत.
- ३) अस्तांतरण विभागणी व तक्रारी अर्ज आल्यानंतर त्याची सात दिवसामध्ये पुर्तता करण्यात यावी.
- ४) बी.ओ.टी.वरच्या योजनासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करावी आणि योजना लवकरात लवकर चालुकरण्यासाठी प्रशासनाने योग्य ती दक्षता घ्यावी.
- ५) दर चार वर्षांनी रिव्हिजन करावे अशी तरतूद असनांना गत कालावधीमध्ये तीन वेळेला रिव्हिजन केलेले नाहीत. यामुळे महानगरपालिकेचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले असून, यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
- ६) महानगरपालिकेचे दवाखान्यामध्ये डॉक्टर्स व कर्मचारी यांचेकरिता बांधण्यात आलेले निवासस्थाने ही त्याच दवाखान्यामध्ये कार्यरत असणाऱ्या डॉक्टर्स व कर्मचारी यांनाच देण्यात यावेत. त्यांना सोडून इतर कर्मचारी त्या निवासस्थानामध्ये राहत असतील तर त्यांचेकडून ती निवासस्थाने सत्वर रिकामी करून घेण्यात यावीत.
- ७) महानगरपालिकेचे दवाखान्याकरिता आवश्यक ती खरेदी वेळेवर करण्यात यावी व त्याची सेवा नागरिकांना मोफत देण्यात यावी. तसेच दवाखान्यासाठी व प्रसुतीगृहासाठी साहित्य खरेदीसाठी दिलेल्या रक्कमेचा वापर केला गेला नसल्यास याबाबत जा कोणी दोषी असतील अशा अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी.
- ८) म.न.पा.तील जकात, एस्कॉर्ट व एल.बी.टी कडील सेवकांकडून अनाधिकृत नळ नोंद नसलेल्या मिळकतींचा शोध, अनाधिकृत बांधकामे यांचा शोध घेऊन त्यांची तीन महिन्यात सविस्तर माहिती देण्यात यावी.
- ९) म.न.पा. पदाधिकारी /अधिकारी यांचेमध्ये समन्वय साधणेसाठी तीन महिन्यातून एकदा समन्वय बैठक आयोजित करण्यात यावी.
- १०) म.न.पा दवाखाने व हॉस्पिटल मधील डॉक्टर्स, सेवक हे वेळेवर तेथे उपस्थित रहात नाहीत याकरिता अंतर्गत लेखापरिक्षक व मुख्य लेखापरिक्षक यांनी आठवड्यातून एक दिवस स्पॉट व्हिजिट करावी व त्याबाबत आयुक्तांकडे रिपोर्ट सादर करावा.



- ११) अन्न व परवाना विभाग यांचेकडे नोंदणी केलेल्या संख्येबाबतची फेरतपासणी करावी व याबाबत झोन कडे असलेल्या सर्व सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, चीफ सॅनिटरी इन्स्पेक्टर यांचा उपयोग करून घ्यावा.
- १२) झोन अधिकाऱ्यांकडून पाण्याचे टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो याचे योग्य ते नियोजन व रेकॉर्ड ठेवण्यात यावे. ज्याभागात टँकर पाठविण्यात येतात त्या भागातील नागरिकांच्या व नगरसेवकांच्या त्यावर स्वाक्षऱ्या घेण्यात याव्यात आणि ही सर्व कागदपत्रे दिल्यानंतरच टँकरचे बिल करण्यात यावे.
- १३) प्राणी संग्रहालयाचे आधुनिक पध्दतीने नुतनीकरण करण्यात यावे. त्याकरिता मिळालेल्या अनुदानाचा उपयोग योग्य व चांगल्या पध्दतीने करण्यात यावा.
- १४) अग्निशामक दलाचे आधुनिकीकरण प्रशासनाने सक्षम मान्यतेद्वारे जलद गतीने करावे.
- १५) सरकारी कार्यालयाच्या मिळकतीवरील कर आकारणीची थकबाकी वसूल करण्यात यावी. जरूर पडल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
- १६) मिनी व मेजर शॉपिंग सेंटरमधील गाळे बाबतचे भाडे व ऑक्युपन्सी प्राईसचे दर निश्चित करण्यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने मा. स्थायी समिती व मा. सर्वसाधारण सभेकडे सादर करण्यात यावा.
- १७) शहरातील रस्ते केल्यानंतर ते पुन्हा पाईपलाईन अथवा ड्रेनेज लाईन करिता फोडण्यात येतात त्यामुळे करोडो रुपयाचे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान होते याकरिता या लाईन्स रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने घालण्यात याव्यात.
- १८) ज्या त्या झोनमध्ये असलेल्या प्रभागातील पाण्यात पाईपलाईन्स व ड्रेनेज लाईन्स यांच्या संदर्भातील नकाशा तीन महिन्यामध्ये तयार करावा.
- १९) घुशीसंदर्भात उपाय योजना करणे अत्यंत जरूरीचे आहे. अनेक भागामध्ये नागरिकांच्या घराना व ड्रेनेज लाईनला घुशीमुळे मोठे नुकसान पोहोचत आहे. तसेच मोकट कुत्री व डुकरे यांचाही बंदोबस्त प्रशासनाकडून सत्वर करण्यांत यावा.
- २०) महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यासंदर्भात मा. आयुक्त यांनी कार्यवाही करावी.
- २१) महानगरपालिकेचे दवाखान्यामधून अचानक उद्भवणारे रोगांसाठी उदा. स्वाईन फ्ल्यु, डॅंग्यु, चिकन गुनिया या सारखे रोगांसाठी स्वतंत्र विभाग चालू करण्यांत यावा. तसेच कुत्रे चावलेल्या नागरिकांना अँटीरेबीज इंजेक्शन देण्यासाठी पुरेसा स्टॉक ठेवण्यांत यावा.
- २२) ज्या शासकीय योजनासाठी विशिष्ट अधिकाऱ्यांची नेमणूक केलेली आहे व ज्या योजनासाठी अनुदान बंद झालेले आहे, किंवा ज्या योजना संपुष्टात आलेल्या आहेत ज्या अधिकाऱ्यांना नियमाप्रमाणे मुदतवाढ दिलेली नाही त्यांना नियमाप्रमाणे कमी करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी.
- २३) बांधकाम विभागाने शहरातील अनाधिकृत बांधकामाचा दोन महिन्यामध्ये सव्हे करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून विकास शुल्क वसूल करण्यांत यावे. याबाबतची कार्यवाही तातडीने करावी.

- २४) दरवर्षी अंदाजपत्रकाच्या ठरावामध्ये महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढ व्हावे व प्रशासनामध्ये शिस्त व सुसूत्रता यावी म्हणून अनेक सूचना व शिफारसी करण्यांत येतात, परंतु प्रशासनातील अधिकारी यांनी याच्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करीत असल्याने दिसून येत आहे. गेल्या दोन तीन वर्षांमध्ये केलेल्या सूचना व शिफारशीप्रमाणे खातेप्रमुखांनी कार्यवाही केले नसल्याचे दिसून येत आहे. मा.आयुक्तांनी अशा महत्वाच्या सूचना व शिफारशीची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांना खातेप्रमुखांविरुद्ध कारवाई करावी.
- २५) शहरामध्ये लग्नकार्य किंवा विविध कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मंडप, स्टेज मारण्यांत येते व त्यामुळे रस्ते खोदण्यांत येतात यामुळे महानगरपालिकेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते ते टाळण्यासाठी खड्डेविरहित मंडप घालणेबाबत कार्यवाही ठेवणेसाठी नागरिकांमध्ये जागृती करून तसे आवाहन करण्यांत यावे.
- २६) अंदाजपत्रकामध्ये साहित्य खरेदी, औषधे खरेदी वगैरे बाबीसाठी तरतूद ठेवली जाते त्या तरतूदींचा विनियोग व वापर वेळेत करण्यासाठीची कार्यवाही संबंधित विभाग प्रमुखांनी ठेवावी.
- २७) मुख्यलेखापाल यांनी नगरसेवकांच्या कामाचे अभिप्राय वेळेत न दिल्याने त्यांची कामे ज्या त्या आर्थिक वर्षात पूर्ण होऊ शकले नाहीत, यास्तव यापुढे सर्व अंदाजपत्रकात तरतूद असलेल्या कामाचे अभिप्राय सात दिवसांच्या आत देण्याची करावी.
- २८) शिवणक्लास शिक्षिका, बालवाडी शिक्षकांना असलेले मानधनामध्ये वाढ करण्यांत यावी. व तसा प्रस्ताव सादर करण्यांत यावा.
- २९) शहरामध्ये ठिकठिकाणी स्वच्छता मोहीम राबविण्यांत यावी. विशेषतः झोपडपट्ट्यामधून, सार्वजनिक संडास, मुतारीच्या ठिकाणी, शाळागृह, इ. शहरातील सर्व सार्वजनिक ठिकाणची साफसफाई करून शहर स्वच्छतेस हातभार लावण्यांत यावा.
- ३०) मा. सर्वसाधारण सभेतील मान्य केलेल्या अंदाजपत्रकातील तरतूदीमधून जर प्रशासनाला एखाद्या सदरातून इतर सदरासाठी निधी वापरायचा असेल तर त्यासाठी नियमानुसार मा. सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी.
- ३१) आयुक्तांना ६७(३)(क) चा आधार घेऊन काम करायचे असेल तर कायद्यामध्ये असलेले अत्यावश्यक, आणीबाणी व निवडीच्या बाबीसाठीच याचा वापर करण्यांत यावा.
- ३२) मुख्यलेखापाल यांनी सर्व बाबी पूर्ण तपासणी करूनच ज्या त्या कामासंबंधी अभिप्राय देणेची कायद्याने अपेक्षित आहे. तसे आढळून न आल्यास मा. आयुक्त यांनी कारवाई करावी.
- ३३) महानगरपालिकेचे २५६ निवासी गाळ्यामध्ये जे मूळ मालक रहात आहेत त्यांचेकडून योग्य ते मुल्य घेऊन त्यांचे नावे गाळे ट्रान्सफर करण्यांत यावेत. व त्या ठिकाणी रहाणारे पोटभाडेकरू यांचे बाबतीत महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यांत यावी. या जागेवर घरकुल योजना राबविणेसंदर्भात शासकीय योजना राबविता येत असेल तर त्या संबंधीचा प्रस्ताव मा. सर्वसाधारण सभेकडे पाठवावा.
- ३४) आरोग्य विभागाकडील ड्रेनेज चेंबर सफाईचे काम करणाऱ्या सर्व सफाई कामगारांना अलीकडेच घडलेल्या दुर्घटनेच्या विचार करून तातडीने त्यांच्या संरक्षणासाठी संरक्षित ड्रेस, हॅन्डग्लोज आणि ऑक्सिजन किट देण्यात यावा.

**ए. ए. पठाण**

नगरसचिव

सोलापूर महानगरपालिका

**भांडवली कामाच्या खर्चाचा तक्ता**

| अ.क्र. | विवरण   | र.रुपये<br>(लाखात) |
|--------|---|--------------------|
| १.     | रस्ते बांधणे  | ४००.००             |
| २.     | वार्डवाईज कामे  | ६४२.००             |
| ३.     | सिटी सर्व्हे, पाणी पुरवठा / नाला / सी.डी.पी (डीपाआर) तयार करणे                          | १००.००             |
| ४.     | पाण्याच्या टाक्याबांधणे व पाईपलाईन घालणे  | ५००.००             |
| ५.     | हद्दवाढ भागात मोजणी करणे  | २०.००              |
| ६.     | बांधा, वापरा व हस्तांतरण करा योजना  | २५.००              |
| ७.     | सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजना (राज्यस्तर)<br>पोल व ट्रान्सफार्मर शिफटींग करणे / भू-संपादन | ५००.००             |
| ८.     | गुंठेवारी क्षेत्रात मुलभूत सोयी करणे  | २५०.००             |
| ९.     | नेहरू सायन्स सेंटर देखभाल दुरुस्ती  | २०.००              |
| १०.    | मा. महापौर सुचवितील ती कामे करणे  | ३००.००             |
| ११.    | एमएसआरडीसी दुसरा टप्पा /उड्डाण पूल आराखडा तयार करणे                                     | १००.००             |
| १२.    | मा. उपमहापौर सुचवितील ती कामे करणे  | २००.००             |
| १३.    | मा. अध्यक्ष स्थायी समिती सुचवितील ती कामे करणे  | २००.००             |
| १४.    | ड्रेनेज लाईन घालणे व गटारी बांधणे   | ३००.००             |
| १५.    | रिपन हॉल म्युझियम बांधणे  | २०.००              |
| १६.    | नागरी दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजना  | २५.००              |
| १७.    | मा. सभागृहनेता सुचवितील ती कामे करणे  | २००.००             |
| १८.    | नाला ट्रेनिंग करणे व नाला उंची वाढविणे व पावसाळी गटारी, स्ट्रॉमड्रेन घालणे              | ३००.००             |
| १९.    | मा. विरोधी पक्षनेता सुचवितील ती कामे करणे.  | ८०.००              |
| २०.    | मा. महापौर व मा. सभागृह नेता सुचवितील तेथे बुध्दविहार सुधारणा करणे                      | १००.००             |
| २१.    | सुजन निर्मल योजना म.न.पा हिस्सा   | ५००.००             |
| २२.    | दूषित पाणी लिकेज ड्रेनेज दुरुस्ती करणे  | २००.००             |
| २३.    | शहरात विविध ठिकाणी महिलांसाठी सुलभशौचालय बांधणे   | १००.००             |
| २४.    | नविन बोअर घेणे  | १००.००             |
| २५.    | TCID म.न.पा.हिस्सा / अक्कलकोट रोड MIDC मध्ये सुधारणा करणे                               | १००.००             |
| २६.    | सोलापूर महानगरपालिका सुवर्ण महोत्सव वर्ष साजरा करणे                                     | २००.००             |

| अ.क्र. | विवरण  | र.रुपये<br>(लाखात) |
|--------|--|--------------------|
| २७.    | १.६ कि.मी. पाईपलाईन घालणे  | १५०.००             |
| २८.    | NTPC पाईप उजनी लाईन, सोरेगांव एक्सप्रेस फिडर जागा संपादन इत्यादी                                   | २००.००             |
| २९.    | मनपा दवाखाने सुधारणा करणे  | २००.००             |
| ३०.    | विडी घरकुल नाला ट्रेनिंग करणे  | ५०.००              |
| ३१.    | दिवाबत्तीची सोय करणे   | २००.००             |
| ३२.    | शहरातील नविन पुतळे बसविणे वपुतळे परिसर सुधारणा करणे  | २००.००             |
| ३३.    | पाईपलाईन घालणे   | ५००.००             |
| ३४.    | शहर व हदवाढ भागातील विविध विकास कामे करणे  | २८१८.९२            |
| ३५.    | नविन बागा तयार करणे व सुधारणा करणे   | १००.००             |
| ३६.    | कॉमन रस्ते करणे  | ३००.००             |
| ३७.    | योग शिबीर हॉल बांधणे   | ५०.००              |
| ३८.    | मागील भांडवली कामासाठी कमी पडणारी रक्कम  | ३००.००             |
| ३९.    | एम.बी.आर. येथे दोन स्टॅन्डबाय पंप बसविणे व पाईपलाईन घालणे  | २५०.००             |
| ४०.    | भवानी पेठ येथे १२५ एच.पी. पंप बसविणे व दहितणे घरकुल पाईपलाईन घालणे                                 | १५०.००             |
| ४१.    | सिध्देश्वर काठी मार्ग व लोकमान्य मिरवणूकी मार्ग ओव्हरलोड वायर अंडरग्राऊंड करणे                     | १५०.००             |
| ४२.    | मेडिटेशन हॉल बांधणे  | ६०.००              |
| ४३.    | किल्ला खंदक बगीचा व इंद्रभवन बाग सुशोभिकरण करणे  | २५.००              |
| ४४.    | माटे बगीचा सुशोभिकरण करणे.   | १५.००              |
| ४५.    | IHSDP योजना राबविणे (राहुल गांधी नगर)  | ५००.००             |
| ४६.    | IHSDP योजना राबविणे (भगवान नगर)  | ४००.००             |
| ४७.    | समान पाणीपुरवठा करण्याच्या दृष्टीकोनातून मिटररायझेशन करणे व स्कॉडा सिस्टीम (२४ × ७) डी.पी.आर. करणे | २००.००             |
| ४८.    | अद्ययावत कतलखाना बांधणे  | ७०.००              |
| ४९.    | जागा संपादन करणे, जागा ताब्यात घेणे  | ५००.००             |
| ५०     | स्मशानभूमी करणे  | ३००.००             |
|        | <b>एकूण</b>  | <b>१३१७०.९२</b>    |

वरील प्रमाणे मान्यता देण्यांत येत आहे. भांडवली कामातील बदल सुचविणेचे अधिकार मा. सभागृह नेता यांना राहिल.

मा. शासनाकडून आलेले अनुदान अथवा १३ वे वित्त आयोग या कामात बदल करणेचा अधिकार मा.महापौर व मा.सभागृह नेता यांना अधिकार देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

उजनी पंप हाऊस येथे एक्सप्रेस फिडर लाईन घालणेकामी र.रु.७०,००,०००/- ची तरतूद १३ व्या वित्त आयोगातील शिल्लक रकमेतून उपलब्ध करून देण्यांत येत असून, सदर काम करणेस मान्यता देण्यांत येत आहे.

आजच्या रेडी रेकनर प्रमाणे गाळ्यांच्या ट्रान्सफर फी मध्ये ५० टक्के सवलत देण्यास मान्यता देण्यांत येत आहे.

मागील १० वर्षांचे संपूर्ण आरोग्य खात्याकडील खरेदी विक्रीचे मुख्यलेखापरिक्षकांमार्फत लेखापरिक्षण करून घेण्यांत यावे.

शहराला समान पाणी पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने मिटरायझेशन व कॉम्प्युटरायझेशन करण्यास मान्यता देण्यांत येत असून, काडा सिस्टीम (२४ × ७) राबविण्यांत यावी.

शहरातील खाजगी शाळेकडील असलेली थकबाकीची वसुली करण्यासाठी नियमाप्रमाणे योग्य ती स्कीम तयार करण्यांत यावी.

मा. महापौर, मा.उपमहापौर, मा. अध्यक्ष स्थायी समिती, मा.सभागृह नेता, मा.विरोधी पक्ष नेता, मा.अध्यक्ष प्रभाग समिती तसेच मा. विशेष सात समित्यांचे अध्यक्ष / मा. महापौर यांना ऐच्छिक खर्चाची जी रक्कम तरतूद करण्यात आली आहे त्यास मा.म.न.पा. पदाधिकारी यांना जो खर्च करणे आवश्यक वाटेल अशा खर्चासाठी जी रक्कम तरतूद करण्यात आली आहे त्यास जे ते मा.पदाधिकारी मंजूरी देतील ती मान्यता सक्षम राहिल.

नगर सचिव कार्यालयाकडील र.रु.३०००/- इतक्या रकमेच्या बिलास मंजूरी देणे व करारपत्र शिथिल करणेकामी व मान्यता देणेस्तव मा. नगरसचिव यांना मा. आयुक्त यांनी अधिकार प्रदान करणेकामी त्वरीत आदेश प्रसारीत करणेसही मान्यता देणेत येत आहे.

महानगरपालिकेची नुतन वास्तु (कॉन्सिल हॉल) येथे मा.म.न.पा. पदाधिकाऱ्यांचे कार्यालये असल्याने व कर्मचारी संख्या अपुरी असल्याने मा.पदाधिकाऱ्यांची कार्यालये व परिसर स्वच्छता व सॉनिटेशन ब्लॉकची स्वच्छता ठेवणेकामी मा.नगर अभियंता यांनी कार्यवाही करावी. सदरकामी येणारा खर्च नगरसचिव कार्यालयाकडील कॉन्सिल हॉल व देखभाल दुरुस्ती या सदरी बजेट खर्ची टाकण्यांत यावे.

नगरसचिव कार्यालयाकडील रिक्त असलेल्या सायक्लोस्टाईल ऑपरेटर या पदी शेखर शंकर सकट यांची नियुक्ती करणेस मान्यता देणेत येत आहे. सदरबाबतची मा.आयुक्त यांनी सत्वर कार्यवाही करावी.

कामागर कल्याण जनता संपर्क कार्यालयाकडे अपंग सहाय्य संस्था यांना मदत देणे या बजेट सदरी जी रक्कम तरतूद करण्यांत आली आहे त्या रकमेचा अधिकार मा. महापौर, मा. सभागृहनेता यांना देण्यांत येत आहे.

महानगरपालिकेच्या प्रत्येक कार्यालयात व जकात नोक परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यास मान्यता देण्यांत येत आहे.

महानगरपालिकेचे कायम व रोजंदारी सेवकांसाठी गृहबांधणी योजना राबविण्यांत यावी. याकरिता र.रु.१०० कोटीची तरतूद करणेस मान्यता देणेत येत आहे.

मुख्यलेखापाल कार्यालयात सन २००७ पासून काम करणारे श्री.एफ.आय.पटनी, संगणक चालक हे गेल्या ६ वर्षापासून अत्यंत महत्वाचे असे महापालिकेचे बजेटचे काम उत्कृष्टपणे करीत आहेत. त्यांना मु.प्रां.महा.अधिनियम १९४९ चे कलम ५३(३) नुसार वेतनश्रेणी ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० वर संगणक चालक हे पद निर्माण करून सदर पदास मा.शासनाची मान्यता मिळेतोपर्यंत नियुक्ती देणेस किंवा रिक्त असलेल्या संगणक चालक / क.श्रे.लि. ह्या पदावर नियुक्ती देणेस मान्यता देण्यांत येत आहे. याकामी जाहिर प्रसिध्दीकरणाची व इतर अट शिथिल करणेसही मान्यता देत आहे.

मुख्यलेखापाल कार्यालयाकडील श्री. जी. के. यनगंदूल हे बजेटचे काम नियमितपणे व व्यवस्थितरित्या करीत असल्याने त्यांची महानगरपालिकेचे आस्थापनेवर वरिष्ठ मुख्य लेखनिक या पदी नियुक्ती करणेस मान्यता देणेत येत आहे.

महिला व बाल कल्याण सभापतींचे वाहनाची देखभाल दुरुस्ती, पेट्रोल, खर्च, ऐच्छिक खर्च, याकामी स्वतंत्र रित्या महिला बाल कल्याण विभागाकडे तरतूद असल्याने याबाबतची संपूर्ण कार्यवाही महिला व बालकल्याण विभागाकडून करण्यास मान्यता देण्यांत येत आहे.

**ए. ए. पठाण**  
नगरसचिव  
सोलापूर महानगरपालिका

तसेच सन २०१३-१४ चे महिला व बाल कल्याण समितीकरिता रुपये २.०० कोटी तरतूदीतून खालील प्रमाणे विवरणास तपशीलवार यादीस मान्यता देणेत येत आहे.

| अ.क्र. | विवरण   | र.रुपये<br>(लाखात) |
|--------|---|--------------------|
| १.     | १. कॉम्प्युटर कोर्स एमएससीआयटी  | १२.००              |
|        | २. नर्सिंग प्रशिक्षण (बेसीक)  | १.५०               |
|        | ३. इंग्लिश संभाषण, व्यक्तीमत्व विकास  | २.००               |
|        | ४. फॅन्सी ड्रेस मेकिंग, शिलाई, एम्ब्रॉडरी, जरीवर्क इत्यादी                                  | २.००               |
|        | ५. इमिटेशन ज्वेलरी (मोत्याचे दागिने प्रशिक्षण)  | १.००               |
|        | ६. खाद्य पदार्थ तयार करणे बेकरी, मिल्क पावडर, केटरिंग इत्यादी                               | २.००               |
|        | ७. महिलांसाठी चारचाकी ड्रायव्हिंग कोर्स   | १.५०               |
|        | ८. ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण  | ३.००               |
|        | ९. वेश्या व्यवसाय गुंतलेल्या महिलांसाठी विविध प्रकारचे व्यावसायिक प्रशिक्षण                 | २.००               |
|        | <b>एकूण</b>   | <b>२७.००</b>       |
| २.     | विद्यार्थिनी व महिलांसाठी विविध छंदवर्ग   | २.००               |
| ३.     | बाल मेळावा  | १.००               |
| ४.     | लहान बालकांसाठी पाळणागृह  | १.००               |
| ५.     | महिलां लोकप्रतिनिधींसाठी अभ्यासदौरा   | ४.००               |
| ६.     | इयत्ता दहावी व बारावी मधील प्रथम आलेल्या मुलींचा गौरव                                       | ०.५०               |
| ७.     | प्राणायाम, कराटे, कुं-फू, शारीरिक विकास व व्यायाम इत्यादी                                   | ०.५०               |
| ८.     | महिला व मुलींसाठी विविध प्रबोधनात्मक व्याख्याने   | १.००               |
| ९.     | महिला दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम  | ०.५०               |
| १०.    | महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र (फर्निचर, स्टेशनरी, पुस्तके इत्यादी)                             | १.००               |
| ११.    | महिला व मुलींसाठी आरोग्य तपासणी (हिमोग्लोबीन तपासणी, एक्सरे, शुगर टेस्ट इ. अनुषंगीक शिबिरे) | ३.००               |
| १२.    | म.न.पा.दवाखान्यात गर्भवती महिलांसाठी पौष्टीक खाद्य, बाळंतपणातील आहार इत्यादी.               | २.००               |
| १३.    | ज्या महिलांसाठी उत्कृष्ट काम केले आहे, अशा महिलांचा गौरव करणे                               | ०.२५               |
| १४.    | महिलांना कायदेविषयक सल्ला देणेसाठी योजना राबविणे  | ०.२५               |
| १५.    | महिलां व बालकल्याणसाठी वाचनालय चालविणे (पुस्तक, फर्निचर, मानधन, इत्यादी)                    | २.०७               |
| १६.    | सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी प्रसाधन गृह बांधणे  | ४०.००              |
| १७.    | पोलीओग्रस्त मुलींना अत्यावश्यक साहित्य (कॅलीफर्स/ट्रायसिकल इत्यादी)                         | १.००               |

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| १८. | वृध्दांना काठी, चष्मा वाटप, नेत्रतपासणी याकरिता   | १.००          |
| १९. | इयत्ता पहिली ते दहावीच्या मुलींसाठी मोफत बससेवा योजना   | ८०.००         |
| २०. | सावित्रीबाई फुले / अहिल्याबाई होळकर / राजमाता जिजाऊ / मातोश्री रमाबाई आंबेडकर / इंदिरा गांधी पुण्यतिथी / जयंती निमित्त विविध कार्यक्रम / यांच्या नांवे पुरस्कार देण्यात यावे. | २.००          |
| २१. | अंगणवाडी क्षेत्रातील मुलांकरिता आवश्यक शैक्षणिक साहित्य खरेदी करणे  | २.००          |
| २२. | महिलांसाठी विविध नवीन उपक्रम  | २.००          |
| २३. | जननी शिशू सुरक्षा योजना   | १०.००         |
| २४. | ऐच्छिक खर्च (मा. सभापती यांना खर्चाचे अधिकार राहतील)  | १.००          |
|     | <b>एकूण</b>   | <b>१५८.०७</b> |

### **महिला व बाल कल्याण समिती संकीर्ण**

| अ.क्र. | विवरण  | र.रुपये<br>(लाखात) |
|--------|--|--------------------|
| १.     | मुद्रण (प्रेसटी साईन बोर्ड फॉर्म्स छपाई इत्यादी) | ०.२०               |
| २.     | वृत्तपत्र खरेदी (समितीसाठी)                      | ०.१०               |
| ३.     | पोष्टेज खर्च                                     | ०.१०               |
| ४.     | धुलाई (पडदे इत्यादी)                             | ०.०३               |
| ५.     | दोन वाहनांसाठी विमा हप्ता                        | ०.५०               |
| ६.     | संगणक प्रिंटर, कॉपीअर (स्टेशनरी)                 | १.००               |
| ७.     | इंधन तेले दुरुस्ती (दोन वाहनांसाठी)              | १०.००              |
| ८.     | वाहन स्वच्छता सुटेभाग, रबरीधावा, इत्यादी         | २.००               |
| ९.     | संकीर्ण साहित्य फर्निचर, स्टेशनरी,               | १.००               |
|        | <b>एकूण</b>                                      | <b>१४.९३</b>       |

### **एकूण बजेट तरतूद सन २०१३-१४ करिता**

| अ.क्र. | विवरण                            | र.रुपये<br>(लाखात) |
|--------|----------------------------------|--------------------|
| १.     | व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण  | २७.००              |
| २.     | मा. शासन निर्देशित कार्यक्रम     | १५८.०७             |
| ३.     | महिला व बाल कल्याण समिती संकीर्ण | १४.९३              |
|        | <b>एकूण</b>                      | <b>२००.००</b>      |